न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा

अपील संख्या 27/15

तारीख रजू– 27/03/2015

[illegible] पुत्र श्रीया जाति गुर्जर निवासी बाढमिलकपुर तहसील गंगापुरसिटी। ---अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार,तलावडा। ------- रेस्पो0

निर्णय

दिनांक– 15/10/15

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार,तलावडा द्वारा मिसल संख्या 106/15 मे पारित आदेश दिनांक 18/02/2015 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बाढ मिलकपुर की आराजी खसरा नम्बर 158 रकवा 0.20 हेक्टर व 164 रकवा 0.04 हैक्टर किस्म चरागाह पर संवत 2071 रबी मे अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त करने का दोषी मानकर भूमि से बेदखल किये जाने,फसल जब्त कर नीलामी करने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के साथ साथ अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व रूएदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट व बयान को एकमात्र आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। पटवारी हल्का ने अपीलार्थी के विरूद्व अतिचार की रिपोर्ट आपसी रंजिशवश की है जिसपर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अदालत मातहत ने कोई अवसर प्रदान नही किया है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने पूर्व मे पारित भौतिक बेदखली के वक्त मौतबिरान गवाहो के बयान रिकार्ड पर नही लिये है तथा पत्रावली पर कोई ऐसी साक्ष्य नही है जिससे कि अपीलार्थी पर अतिक्रमित आराजीयात पर पश्चातवर्ती अतिचार साबित होता हो इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अतिक्रमित आराजीयात पर अपीलार्थी का कोई कब्जा काश्त नही रहा है मोके की कब्जे की कोई तहकीकात रिपोर्ट अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व नही मगवायी है वरन अदालत मातहत ने [illegible] के आधार पर बिना न्यायिक विवेक का उपयोग किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावें।

विद्वान राजकीय पेरोकार ने बहस मे तर्क दिया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है तथा पश्चातवर्ती अतिचार के क्रम मे सम्यक जांच करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावें।

विद्वान वकील अपीलार्थी व पेरोकार राज की बहस सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील मे अंकित तथ्यो व अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुचे

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

8/2

<u>अपील संख्या 27/15 रतनलाल बनाम सरकार</u>

है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी अतिक्रमी को विधिवत रूप से सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलार्थी के पुत्र व बल्यादगी से खुले मकान पर तामील हुई है। ऐसी अवस्था मे अपीलार्थी का यह कथन मानने योग्य नही है कि उसको सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया हैं। जहां तक अपीलार्थी को पूर्ववर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध मे अपीलार्थी द्वारा पूर्व मे किये गये अतिचार के संबंध मे अदालत मातहत मे पटवारी हल्का द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रमाणित अतिक्रमण की रिपोर्ट जिसमे पुराना अतिचार होना अंकित है, पूर्व अतिचार के सबंध मे लिये पटवारी हल्का के बयान व सम्वत 2070 खरीफ मे इसी आराजी पर अतिक्रमी द्वारा किये अतिचार की खसरा परिवर्तनशील पी.14 की प्रमाणित प्रति अदालत मातहत की पत्रावली मे संलग्न है जिससे यह भलीभाति साबित है कि अपीलार्थी का अतिक्रमित आराजी पर पूर्ववर्ती अतिचार रहा है। अतिक्रमित आराजी की किस्म चरागाह है जो मूक पशुओ के चराई के उपयोग मे आती है व अतिक्रमित आराजी पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के विरूद्व कठोर कार्यवाही नही की जाती है तो ग्रामवासियो मे आक्रोश उत्पन्न होता है। अतः अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश सम्यक जांच व अभिलेख का अवलोकन करने के उपरान्त ही पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अवैधानिकता व अनियमितता नही झलकती है व उचित है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/10/15 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर